न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/79

राधेश्याम आयु 63 वर्ष आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी शिव मंदिर के पास बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गोरधन आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. घनश्याम आत्मज अमर लाल जाति कलाल निवासी द्वारा गोपाल इलेक्ट्रिकल्स रामधन चौराहा लाखेरी तहसील इन्द्रगए जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री भुवनेश कुमार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 गोरधन ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बमोरी तहसील दीगोद की खाता संख्या 50 की आराजी खसरा नम्बर 100/1172 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 268/1058 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 819 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 823 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.66 हैक्टर किता 09 रकबा 5.74 हैक्टर भूमि में अपना हिस्सा 1/3 बताते हुए वादग्रस्त आराजी का पक्षकरान के मध्य विधिवत विभाजन करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.2016 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा अपने निर्णय दिनांक 14.07.2016 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 14.07.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.01.2018 को पटवारी हल्का द्वारा देने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व नियमों की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मौके पर कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने प्रारम्भिक डिक्री की भी अपील पेश की जिसमें निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 02.06.2016 को होना बताया था । अंतिम डिक्री के खिलाफ अब अपील पेश की है जिसमें निर्णय एवं अंतिम डिक्री की जानकारी दिनांक 19.01.2018 को होना बताया है जबकि प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ जब अपीलान्ट ने अपील पेश की थी तभी उनको प्रकरण की जानकारी थी ।पटवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है इसलिए विलम्ब को कण्डोन नहीं किया जा सकता । हिस्से के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई है जो विधि सम्मत है । अपीलान्ट ने जो अपील में प्लीडिंग की है उससे परे जाकर बहस में तथ्य नहीं बताए जा सकते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री 14.07.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 1990 पेज 477, आरआरडी 1990 पेज 545, आरआरडी 2018 पेज 215, एआईआर 1998 पेज 117 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण

दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.06.2016 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री लोक अदालत में पारित हुई है और दिनांक 14.07.2016 को अंतिम डिक्री पारित हुई है । अपील अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.07.2016 के अनुसार लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 उपस्थित हुए हैं और उन्होंने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है । प्रतिवादी क्रम 2 अपीलान्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.07.2016 को उपस्थित हुए हैं और न ही उनको आपत्ति पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है ।

11. हमने विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार करके तहसीलदार को प्रेषित किया गया है यद्यपि इसमें तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं परन्तु तहसीलदार स्वयं मौके पर गये हों ऐसा इस विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विभाजन प्रस्ताव बाबत् पत्र तहसीलदार को पटवारी द्वारा लिखा गया है । विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं । बंटवारा नक्शा जो बंटवारा के साथ संलग्न है उसमें सहखातेदारों के हिस्से अलग–अलग दर्शाने के लिए पृथक–पृथक स्याही का उपयोग नहीं किया गया है । इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 2018 पेज 215 यहाँ चस्पा नहीं होती है क्योंकि अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2018 को उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा